

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 374/सू०-117/रिया चिका/2022

दिनांक : 20-09-2022

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi


Sub: Regarding submission of Compliance Report in compliance of the order dated 29.08.2022 in OA no. 348/2022, In the matter of Rajeshwari Prasad Shukla V/s Uttar Pradesh Pollution Control Board.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of the order dated 29.08.2022 in OA no. 348/2022, In the matter of Rajeshwari Prasad Shukla V/s Uttar Pradesh Pollution Control Board, the compliance report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.


Enclosures: As above

Sincerely Yours,


(Ashutosh Chauhan)
Regional Officer

Copy to: Following for information and further necessary action.

- 1- Chief Environmental Officer(C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
- 2- Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
- 3- Chief Law Officer(I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.



Regional Officer


ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बडेबन, बस्ती-272001


Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropcbbasti@gmail.com


माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-348/2022 राजेश्वरी प्रसाद शुक्ला बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 29.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन आख्या।

1. माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-348/2022 राजेश्वरी प्रसाद शुक्ला बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स-किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का संचालन बन्द कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा पत्रांक 130/एन0जी0टी0/2022 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से अन्तर्विभागीय संयुक्त टीम गठित की गयी थी। गठित संयुक्त टीम द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन में ईट भट्टे का संचालन दिनांक 01.06.2022 को बन्द करा दिया गया था।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है एवं ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु निवेश मित्र योजनान्तर्गत ऑन लाइन के माध्यम से ऑन लाइन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर आवेदन भी नहीं किया गया है।
3. प्रश्नगत ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच80888/सी-6/ईट भट्टा/92/ई0सी0/बस्ती/2022 दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से प्रश्नगत ईट भट्टे के विरुद्ध रू0 3,37,500.00(रू0 तीन लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।(संलग्नक-क)
4. प्रश्नगत ईट भट्टे का संचालन बन्द कराये जाने के पश्चात भी दिनांक 27.07.2022, 18.08.2022 एवं दिनांक 12.09.2022 को किया गया। प्रत्येक निरीक्षण के समय भट्टा उत्पादनरत नहीं पाया गया तथा बन्दी आदेश का अनुपालन होता हुआ पाया गया।(संलग्नक-ख)


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक


(आर0वी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी


(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-1

1180 988

Ref. No...../सी0-6/ईट भट्टा/92/ई0सी0/बस्ती/2022

Date... 8-9-22

पंजीकृत/ ई-मेल द्वारा

सेवा में,

मेसर्स किसान त्रिक फील्ड,
ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया,
जनपद-बस्ती।

विषय: मेसर्स किसान त्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के द्वारा
बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालन के संबंध में।

नहोदय,


उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक-एच.62239/सी0-6/ईट भट्टा/92/बन्दी आदेश/बस्ती/2021 दिनांक
09.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये गये हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती के पत्र दिनांक 05.09.2022 एवं 01.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे
का संचालन दिनांक 09.04.2022 से प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 01.06.2022 को ईट भट्टे को जिलाधिकारी, बस्ती के
आदेश दिनांक 30.05.2022 द्वारा गठित अन्तर्विभागीय टीम द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। अतः
ईट भट्टे द्वारा कुल 54 दिन राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना भट्टे का संचालन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि
ईट भट्टे के उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या-54 है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई गाइड लाइन के अनुसार
ईट भट्टे के उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष कुल ₹0 3,37,500/- (₹0 तीन लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) की
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित होती है।


अतः क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के
अनुमोदनोपरान्त मेसर्स किसान त्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के
विरुद्ध 54 दिन राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत Rs. 3,37,500/-
(₹0 तीन लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता
है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ
इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN
0570150 में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की दशा में ईट भट्टे के विरुद्ध की गई कृत कार्यवाही का
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती।
4. जिला खनन अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppecb.com - Web Site: www.uppecb.com

मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण आख्या।


उपरोक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीकर्ताओ द्वारा दिनांक 12.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हनुमान प्रसाद ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का उपयोग कर ईट का उत्पादन कार्य किया जाता था।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं0-348/2022 राजेश्वरी प्रसाद शुक्ला बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में उक्त ईट भट्ठा का संचालन बन्द कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी महोदया, बस्ती द्वारा पत्रांक 130/एन0जी0टी0/2022 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से अन्तर्विभागीय टीम गठित की गयी थी। उपरोक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.06.2022 को बन्द करा दिया गया था।
3. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संदर्भित ईट भट्ठा द्वारा राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं है।
4. निरीक्षण के समय संदर्भित ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया।

 12/09/2022

(पराशर कुमार पाण्डेय)


प्रयोगशाला सहायक


 12-09-2022

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

वैज्ञानिक सहायक

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


 12/09/22


 12/09/22

मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण आख्या।


उपरोक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीकर्ताओ द्वारा दिनांक 18.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हनुमान प्रसाद ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-


1. संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का उपयोग कर ईट का उत्पादन कार्य किया जाता था।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं0-348/2022 राजेश्वरी प्रसाद शुक्ला बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में उक्त ईट भट्ठा का संचालन बन्द कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी महोदया, बस्ती द्वारा पत्रांक 130/एन0जी0टी0/2022 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से अन्तर्विभागीय टीम गठित की गयी थी। उपरोक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.06.2022 को बन्द करा दिया गया था।
3. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार संदर्भित ईट भट्ठा द्वारा राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं है।
4. निरीक्षण के समय संदर्भित ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया।


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



18/8/22


C.S.
18/08/22


मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीकर्ताओ द्वारा दिनांक 27.07.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हनुमान प्रसाद ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स किसान ब्रिक फील्ड, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-कुरदा, तप्पा-गौर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का उपयोग कर ईट का उत्पादन कार्य किया जाता था।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं0-348/2022 राजेश्वरी प्रसाद शुक्ला बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में उक्त ईट भट्ठा का संचालन बन्द कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी महोदया, बस्ती द्वारा पत्रांक 130/एन0जी0टी0/2022 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से अन्तर्विभागीय टीम गठित की गयी थी। उपरोक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.06.2022 को बन्द करा दिया गया था।
3. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संदर्भित ईट भट्ठा द्वारा राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं है।
4. निरीक्षण के समय संदर्भित ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया।


(पराशर कुमार पाण्डेय)


प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

वैज्ञानिक सहायक

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


27/7/22


C.S. 27/07/2022